किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म का दोष सिद्ध, 20 वर्ष की कैद

श्रावस्ती, संवाददाता। किशोर से अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 40 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उमा कांत त्रिपाठी ने बताया कि सिरसिया क्षेत्र के एक गांव निवासी 13 वर्षीय किशोर को एक जुलाई 2023 को क्षेत्र के ही अहलादनगर निवासी मंगल प्रसाद उर्फ मंगरे पुत्र रामकिशुन गौतम घर से बुलाकर बाजार ले गया। इसके बाद किशोर को घर वापस न लाकर उसे गांव के बाहर स्थित नाले के पास रोक लिया। वहां पर उसका मुंह दबाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। घर वापस लौटने पर किशोर ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। पिता की तहरीर पर सिरसिया थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निर्दोष कुमार ने गुरुवार को आरोपी मंगल को दोष सिद्ध ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।